पत्र सं0-विधि 4(2)-अधि0टर्न0ओ0नि0 - /2020-21/ 427/2021030 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 नवम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर/

समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 से संबंधित वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के वादों का कर निर्धारण दिनांक 31-03-2021 तक किया जाना है, पूर्व में मुख्यालय के पत्र सं0-स्था-1-कार्य एवं दायित्व/624/वाणिज्य कर दिनांक 27-05-2008 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया था :-

1- डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त)-50 लाख से अधिक करयोग्य विक्रयधन वाली निर्माता इकाई तथा 01 करोड़ से अधिक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग इकाइयॉ।

2- असिस्टेन्ट कमिश्नर (सहायक आयुक्त)-15 लाख से 50 लाख तक करयोग्य विक्रयधन वाली निर्माता इकाइयॉ तथा 25 लाख से 01 करोड़ तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग इकाइयॉ।

3- वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी)-15 लाख तक करयोग्य विक्रयधन निर्माता इकाइयॉ तथा 25 लाख तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग इकाइयॉ।

वर्ष 2017-18 के केवल प्रथम तिमाही के वादों का ही कर निर्धारण किया जाना है। अतः प्रथम तिमाही के टर्नओवर को चार गुना करने पर जो टर्नओवर प्राप्त हो उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के मौद्रिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया जाए।

खण्ड में तैनात डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं वाणिज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र मे स्थित व्यापारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।